न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, सहरसा।
बी० सी० सी० ए० वाद संख्या—05/2018
राज्य बनाम छोटू सिंह
आदेश

4/10/18

यह कार्यवाही अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा—3 की उप धारा—3 के तहत की जा रही है। पुलिस अधीक्षक, सहरसा ने अपने पत्रांक—2635 दिनांक—21.05.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि छोटू सिंह, पिता—चन्द्रकिशोर सिंह उर्फ ललन प्रसाद सिंह, साकिन—ऐनी, थाना—बख्तियारपुर, बलवा हाट ओ0पी0, जिला—सहरसा एक सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके द्वारा कई संगीन वारदातों को अंजाम दिया जा चुका है। उक्त अपराधकर्मी का सांठ—गांठ कई बाहरी सक्रिय अपराधकर्मी से है। इनके द्वारा किये गये अपराधों से आमजनों में भय का माहौल बना रहता है। बाहरी सक्रिय अपराधकर्मियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से समय—समय पर संगीन अपराधों का अंजाम दिया जा चुका है। उक्त सक्रिय अपराधकर्मी को बाहर रहने से विधि—व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकता है। उक्त अपराधी भा0द0वि0 के अध्याय 16 एवं 17 में उल्लेखित दंडनीय अपराध में संलिप्त रहता है तथा अपराध नियंत्रण अधिनियम—1981 के धारा—2 (डी) में वर्णित असामाजिक तत्व की परिभाषा इस पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इनका आपराधिक इतिहास निम्नवत है।

1. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—128/09 दिनांक 01.06.2009 धारा—25 (1—बी) ए/26 आर्म्स एक्ट में आरोपित है।
2. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—39/12 दिनांक 20.02.2012 धारा—147/148/ 149/ 323/324 /307/ 379/ 504 भा0द0वि0 में आरोपित है।
3. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—116/12 दिनांक 14.05.2012 धारा—307/385/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित है।
4. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—51/12 दिनांक 03.03.2012 धारा—341/441/323/385/353/379/504/34 भा0द0वि0 में आरोपित है।
5. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—65/13 दिनांक 20.03.2013 धारा—302/201/34 भा0द0वि0 में आरोपित है।
6. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—159/13 दिनांक 27.06.2013 धारा—307/34 भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित है।
7. बख्तियारपुर थाना (बलवा हाट ओ0पी0) कांड संख्या—384/12 दिनांक 04.11.2017धारा—341/323/324/307/379/354(A)/504/506/ 34 भा0द0वि0 एव 27 आर्म्स एक्ट में आरोपित है।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी
सहरसा

उक्त आलोक में अधोहस्ताक्षरी न्यायालय से नोटिश जारी कर प्रतिवादी को अपना कारण–पृच्छा समर्पित करने हेतु दिनांक–20.07.2018 को 3.00 बजे अप0 निर्धारित की गई। दिनांक–20.07.2018 को प्रतिपक्षी के द्वारा जबाब दाखिल किया गया। दिनांक–13.08.2018 को साक्ष्य की छायाप्रति सूची के साथ दाखिल किया गया। दिनांक–27.08.2018, 07.09.2018 को हाजरी दी गई । दिनांक–14.09.2018 को उनकी ओर से समय आवेदन दिया गया। निश्चित तिथि दिनांक–01.10.2018 को प्रतिपक्षी उपस्थित। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक को सुना। प्रतिपक्षी की ओर से पूर्व में दाखिल जबाब का अवलोकन किया। उक्त जबाब के साथ कागजात संलग्न नहीं किया गया। अतएव कारणपृच्छा असंतोषप्रद है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने बताया कि इन पर वर्णित काण्ड में जो आरोप है, वह गंभीर प्रकृति के है। ऐसे चरित्र के व्यक्ति को छोड़ना न्यायहित एवं लोकहित में उचित नहीं है।

प्रतिवादी के अपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अन्तर्गत ये " असामाजिक तत्व " है तथा इसकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिये खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है, जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते हैं, जो भारतीय दंड विधान 1981 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अन्तर्गत दंडनीय अपराध है, जिस पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर छोटू सिंह, पिता–चन्द्रकिशोर सिंह उर्फ ललन प्रसाद सिंह, साकिन–ऐनी, थाना–बख्तियारपुर, बलवा हाट ओ0पी0, जिला–सहरसा को बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा–3 की उप धारा–3 के अन्तर्गत 05 महिनों के लिए बख्तियारपुर से नवहट्टा थाना में वे दिनांक–20-10-2018 से दिनांक 18-03-2019 तक सदेह उपस्थित होकर प्रत्येक दिन 9.00 बजे पूर्वाह्न से 11.00 बजे पूर्वाह्न एवं 5.00 बजे अपराह्न से 8.00 बजे अपराह्न के बीच अपना उपस्थिति दर्ज करायेंगे।

थानाध्यक्ष, नवहट्टा थाना को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में बख्तियारपुर से तड़ीपार किये गए छोटू सिंह, पिता–चन्द्रकिशोर सिंह उर्फ ललन प्रसाद सिंह, साकिन–ऐनी, थाना–बख्तियारपुर, बलवा हाट ओ0पी0, जिला–सहरसा के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज करवायेंगे तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, सहरसा को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थानाध्यक्ष, नवहट्टा/बख्तियारपुर, बलवा हाट ओ0पी0 को भेजें।

अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर / महिषी

छोटू सिंह को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, बख्तियारपुर को भेजें।

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, सहरसा को अपने स्तर से तामिला हेतु तथा सहरसा जिले के सभी थानाध्यक्षों को आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने संबंधी निदेश देने के लिये अग्रसारित करेंगे।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति सहरसा जिला के वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ भेजें।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

8/10/18

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।

8/10/18

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा

ज्ञापांक 255-2 /न्याया0, सहरसा, दिनांक– 08-10-2018

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, सहरसा/थाना अध्यक्ष, नवहट्टा/बख्तियारपुर, जिला एवं जन सम्पर्क पदाधिकारी, सहरसा/जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– छोटू सिंह, पिता–चन्द्रकिशोर सिंह उर्फ ललन प्रसाद सिंह, साकिन–ऐनी, थाना–बख्तियारपुर, बलवा हाट ओ0पी0, जिला–सहरसा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

8/10/18

जिला दण्डाधिकारी,
सहरसा।